Payment of CCS in lieu of duty drawback by JCCI & E, Bombay

3369. SHRI SUBRAMANIAN SWAMY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large amount of CCS and Supplementally CCS in lieu of duty drawback is due to be paid by the JCCI and E, Bombay;

(b) whether it is also a fact that inspite of Rs. 130 crores being available with the JCCI & E Bombay the same has not been released to the deemed exporter, to whom refunds are due;

(c) whether it is a fact that a deemed exporter is to be paid nearly Rs. 20 crores as supplementary CCS in lieu of duty drawback;

(d) if so, what is the name of the company and the exact details thereof;

(e) what are the reasons that the refunds not yet been made; and

(f) by when these refunds will be made?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (f) A sum of Rs. 175.50 Crores was released to JCCI & E, Bombay in the months of January/ February 1992 for making payment of CCS claims against physical and deemed exports. Of this, he has paid an amount of Rs. 123.90 Crores in respect of claims of physical and deemed exports up to a value of Rs. 1 Crore. Owing to paucity of funds, supplementary cash assistance and refund of Central Excise duty was temporarily with-held. Additional funds are being released shortly with the instructions to make payments of CCS including payment of supplementary cash assistance in lieu of draw-back and refund of Central Excise duty, without value limit.

राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम को असरणीबद्ध करने का प्रभाव

3370. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:
सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 मार्च, 1992 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "डिकेनेलाइजेशन टू हिट एस०टी०सी० एण्ड एम०एम०टी०सी०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विदेश व्यापार को असरणीयबद्ध करने के परिणामस्वरूप एम०एम०टी०सी० और एस०टी०सी० के व्यापार में उल्लेखनीय रूप से कमी हो जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस स्थिति को देखते हुए सरकार इन निगमों का पुनर्गठन करने का विचार रखती है;

(घ) क्या यह सच है कि इन निगमों में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी नियुक्त है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त जनशक्ति का उपयोग करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ङ) सरकार ने दिनांक 5.3.92 के टाइम्स आफ इंडिया में छपी अखबार रिपोर्ट को नोट किया है। सरकार द्वारा किये गए उदारीकृत व्यापार नीति उपायों के सन्दर्भ में जहां निर्यात आयात की बहुत सी मदों का सरणीयन समाप्त कर दिया गया है, के सन्दर्भ में एस टी सी तथा एम एम टी सी को अपने निगमित उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करना पड़ा है ताकि ये ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक घराने बन सके जो मुख्य रूप से असरणीकृत व्यापार के आधार पर प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्य कर रहे हैं।

सरणीयन समाप्त हो जाने की वजह से कम कारोबार के संदर्भ में एस टी सी अपनी बेशी श्रम शक्ति को समुचित रूप से पुनः प्रशिक्षिण देने के बाद गैर-परम्परागत व्यापार क्षेत्रों में उनका उपयोग करके अपनी ऊपरी खर्च को कम करने की भी सोच रहे हैं।

चमड़े और चमड़े से निर्मित वस्तुओं के निर्यात की सम्भाव्यता

3371. डा० जिनेन्द्र कुमार जैन:
श्री रणजीत सिंह:

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश से भारी मात्रा में चमड़ा, चमड़े से निर्मित वस्तुओं तथा इसके अन्य अवयवों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्बन्ध में और अधिक निर्यात किये जाने की सम्भावनायें हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में चमड़े के उत्पादों की आवश्यकता घरेलू उत्पादन से अधिक है;

(घ) क्या यह भी सच है कि तैयार चमड़े का निर्यात करने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार घरेलू आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए चमड़े के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने और चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए कतिपय सुविधाओं की घोषणा करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम्): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) घरेलू उत्पादन की तुलना में देश में चमड़े के उत्पादों की खपत से सम्बन्धित कोई विश्वसनीय प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं। तैयार चमड़े के निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चमड़े के उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कई संवर्धनात्मक उपाय किए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

(1) चमड़े की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपरिष्कृत, अर्ध-तैयार या तैयार रूप में चमड़े का निःशुल्क आयात;

(2) अन्य कच्चे माल, उपभोक्ता वस्तुओं, सहायक सामग्री, रसायनों और पूंजीगत माल का रियायती शुल्कों पर आयात,

(3) डिजाइन और विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना,

(4) देश में तथा देश के बाहर जनशक्ति प्रशिक्षण में वृद्धि करना,

(5) औद्योगिक एस्टेट स्थापित करना तथा जन-सुविधा केन्द्र बढ़ाना, और

(6) भारतीय चमड़ा उत्पादों की क्वालिटी में सुधार करना तथा उन्हें विश्व बाजार में और अधिक प्रतियोगी बनाना।

15 Point programme for the Welfare of Minorities in the Ministry of Commerce

3372. SHRI MOHAMMED AFZAL *ALIAS* MEEM AFZAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any committee in his Ministry for monitoring implementation of the 15-point programme for the welfare of the minorities; and

(b) if so, what are the details with regard to such committee in the Ministry and the number of persons who have been provided with employment during the past three years under the programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBRAM): (a) No, Sir.

(b) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Needs of Money to Administer IPRS.

3373. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government need crores of rupees every year to administer the International Price Reimbursement Scheme (IPRS) for Steel, engineering industry and 100 per cent Export Oriented Units (EOUs);

(b) if so, what is the total financial amounts needed under this Scheme for the year 1990-91 and 1991-92; and'

(c) in which manner this expense is to be met by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The international Price Reimbursement Scheme for Steel reimburses to exporters of engineering goods the difference between international and domestic price of steel raw material used in export production. Such reimbursements are essentially made from amount collected under the Engineering Goods Exports Assistance Fund constituted from cess levied on saleable pig iron and steel produced by the main producers of steel, like Steel Authority of India Ltd., Tata Iron & Steel Company and India Iron & Steel Company. The total amount of reimbursement made during the year 1990-91 was Rs. 277 crores and during 1991-92 (April 91-January 92) was Rs. 203 crores.

भारत नेपाल व्यापार सम्बन्ध

3374. श्री सत्य प्रकाश मालवीय: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नेपाल के साथ व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से नए क्षेत्रों